कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
द्वादशम मण्डल, सिंचाई कार्य
लखनऊ।

अल्पकालीन निविदा सूचनाः—02 / द्वादशम् / 2017—18
ई—प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों की निविदा

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन https://etender.up.nic.in के माध्यम से प्री—क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड एवं फाइनेंशियल बिड सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक—27.07.2017 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्री—क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड दिनांक—28.07.2017 को अपरान्त 3.00 बजे अधीक्षण अभियन्ता, द्वादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में उनके अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित फर्म / ठेकेदार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेगी तथा प्री—क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड में क्वालीफाई घोषित ठेकेदारों की फाइनेन्शियल बिड दिनांक—31.07.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे ऑनलाइन खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्रों को दिनांक—21.07.2017 की पूर्वान्ह 10.00 बजे से डाउनलोड / अपलोड किया जा सकता है। कार्यालय बन्द होने या छुट्टी होने एवं किसी प्रकार का तकनीकी अवरोध होने की दशा में यह बिड अगले कार्यदिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी।

धरोहर धनराशि एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रदत्त अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड—प्रथम, लखनऊ के पक्ष में बंधक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षण अभियन्ता को सुरक्षित होगा।

क0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 में कर अतिरिक्त	पंजीकृत श्रेणी
	सिंचाई निर्माण खण्ड—प्रथम, लखनऊ					
1.	Annual Maintenance of Pandit Deen Dayal Upadhyay Irrigation and Cultural museum, Garden & Chaudhary Charan Singh Utsav Sthal Raibareli Road, Lucknow.	46.50	0.93	**दिनांक—31.03.2018 तक**	**300.00**	**'बी' अथवा उच्च**

प्रत्येक निविदादाता कोः—

1. रु0 100 / — के नान जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक रुपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा / आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जावेगी। नियमानुसार देय कर जैसे वैट, जी.एस.टी., आयकर, बिक्रीकर, स्टैम्प ड्यूटी इत्यादि देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की शेष 8 प्रतिशत अवशेष सिक्योरिटी भी जमा करना होगा।
2. यह निविदा सूचना बेवसाइट(http:/upgov.up.nic.in/infotech)तथा सिंचाई विभाग की बेवसाइट www.idup.gov.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
3. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ में ई—टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
4. निविदादाता / बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी / ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने / बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा ।
6. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
7. एक निविदादाता केवल एक कार्य की एक ही निविदा डाल सकेगा ।
8. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव / असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता की न्यूनतम बोली की स्थिति में भी निविदा निरस्त की जा सकती है।
9. यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो, तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है ।
10. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा / खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदा जमा होने के 02 दिवस पूर्व इस कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
11. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

12.निविदादाताओं से अनुरोध है कि निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल की स्थिति, कार्य की प्रकृति एवं विभागीय धन उपलब्धता/व्यवस्था के बारे में भली–भांति जानकारी कर लें। धन उपलब्धता के अनुसार कार्य को योजित कर कार्य कराया जायेगा, ताकि किसी प्रकार की देनदारी सृजित नही हो सके। कार्य की मात्रा स्थलीय आवश्यकतानुसार अथवा धन उपलब्धता के अनुसार घट बढ़ सकती है।

13.निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्याः622/23–12–2012–2आडिट/08टी0सी0–2, दिनांकः08–06–2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक कम दर दिये जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारन्टी ली जायेगी। अतिरिक्त सिक्योरिटी जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. टी0ए0सी0/आडिट अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित वसूली सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।

15. लेबरसेस, रायल्टी, आयकर, व्यापार कर एवं अन्य कर की कटौती फर्म/ठेकेदार के बीजकों से नियमानुसार एवं प्रचलित दरों के अनुसार की जायेगी।

16. शर्तयुक्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रतिशत दरें मान्य नहीं होगी।

17. Technical Evaluation will be done manually on the date of opening of Pre-Qualification bid and result will be uploaded online. Financial bid will be accepted only for those bidders who will qualify the technical bid. After opening financial bid the first lowest will be decided and will be uploaded online.

18. प्रत्येक निविदादाता द्वारा निम्न प्रपत्र की स्कैन्ड कॉपी को प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है तथा प्रमाण हेतु इनकी मूल प्रतियां दिनांक–28.07.2017 को अपरान्ह 1.00 बजे तक निविदा खोलने के पूर्व कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, द्वादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ में प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड हेतु जमा करना अनिवार्य होगा।

(i). निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट एव धरोहर धनराशि मूलरूप में।

(ii). पंजीकरण, IDT-I, IDT-II तथा IDT-III की प्रति निर्धारित प्रारूप पर मूलरूप में एवं प्रत्येक की एक–एक सत्यापित प्रति।

(iii). विगत तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष में निविदा में इंगित कार्य की प्रकृति जिसकी लागत निविदा की लागत से 50 प्रतिशत से कम न हो, को सन्तोषजनक ढंग से अनुबन्ध/कार्यादेश के माध्यम से पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा। यह अनुभव प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का मान्य होगा। अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिये गये अनुभव–प्रमाण पत्र को ठेकेदार भी अपने हस्ताक्षर कर स्व–सत्यापित करेगा।

(iv).विगत दो वर्षों में आयकर विभाग में दाखिल आयकर निटर्न की मूल प्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित प्रति।

अधीक्षण अभियन्ता
द्वादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य
लखनऊ।